राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांकः एफ. 27(5)ग्राविवि/इंआ/जिला/अनु.5/ 2013–14 जयपुर, दिनांक 06 जून, 2013

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.)
बासंवाडा/प्रतापगढ/डूँगरपुर/
सिरोही एवं उदयपुर (राजस्थान)।

विषयः– अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम–2006 के अर्न्तगत जारी अधिकार पत्र धारकों को इंदिरा आवास स्वीकृत करने हेतु परिवारों की सूची प्राप्त करने बाबत्।

महोदय,

इंदिरा आवासों की स्वीकृति हेतु आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा इस विभाग को अपने पत्र क्रमांक एफ–1(वन) (6)एमपीआर/सीटीएडी/2011/10770–72 दिनांक 11.04.2012 के द्वारा सूचित किया गया था कि अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम–2006 एवं नियम–2008 के तहत दिनांक 29.02.2012 तक इन्दिरा आवास स्वीकृत करने हेतु 31,390 अधिकार पत्र जारी किये गये हैं। इस आधार पर भारत सरकार से उक्त परिवारों हेतु अतिरिक्त लक्ष्य आवंटन करने हेतु भारत सरकार से निवेदन किया गया। भारत सरकार द्वारा उक्त सन्दर्भ में जिलेवार निम्नानुसार लक्ष्य आवंटित किये गये :–

क्र. सं.	जिला	अधिनियम के तहत जारी अधिकार पत्रों की संख्या	भारत सरकार द्वारा आवंटित लक्ष्य
1	बासंवाडा	11439	9627
2	डूँगरपुर	4150	3493
3	प्रतापगढ	6854	5768
4	सिरोही	1749	1472
5	उदयपुर	6044	5087
	योगः–	**30236**	**25447**

अतः आप जिला स्तर के वन विभाग के कार्यालय से उक्त अधिनियम के तहत ऐसे परिवार जिनको अधिकार पत्र जारी किये गये हैं, कि सूची अतिशीघ्र प्राप्त करें ताकि प्राप्त लक्ष्यों के विरूद्व स्वीकृतियां जारी कर उपलब्धि प्राप्त की जा सके। जिला स्तर से प्राप्त न होने की दशा में कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, 1–सहेली मार्ग, चेतक सर्किल, उदयपुर से सम्पर्क किया जा सकता है, जिनके EPABX नं. 2428721–24/ FAX नं. 0294–2428721 है।

अतः जारी अधिकार पत्र प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की सूची शीघ्र प्राप्त करना सुनिश्चित करें तथा प्राप्ति की सूचना से अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भी सूचित करें।

भवदीय,

06/06/13.
(हितबल्लभ शर्मा)
अधीक्षण अभियंता (ग्रा.वि.)